

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 1979/पौष 11, 1900

No. 6] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 1979/PAUSA 11, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का० आ० 7(अ).—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में आगे संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित आदेश की रचना करती है, अर्थात्:—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) प्रथम संशोधन आदेश, 1979 की संज्ञा दी जाए,
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में आ० जी० एल०-3 में क्रम सं० 55 के नाम से निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:—

1	2	3	4
"55. मजल लोडिंग हथियार और ग्रीच बी-91 लोडिंग या बोल्ट एक्शन हथियार जैसे— शॉटगन, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल और उनके गोला बारूद।		मिम्मलिखित के प्रस्तुत करने पर निर्यात की अनुमति दी जाएगी :— (क) आर्म्स एक्ट, 1959 के उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत जारी किए गए उचित लाइसेंस, और (ख) भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण से इस आशय का प्रमाणपत्र कि निर्यात किए जाने वाले अग्निशस्त्र पुराने और दुर्लभ नमूने नहीं हैं और उनके ऊपर पहचान और प्रूफ टेस्ट का उचित निशान है (1956 के बाद भारत में बने गोला बारूद और अग्निशस्त्र जब विनिर्माताओं द्वारा स्वयं निर्यात किए जा रहे हों तो इस प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी)।"	

[सं० ई(सी) ओ.1977/एएम (84)/मिसिल सं० 17/2/78-ई-1]

का० वें० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 1st January, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 7 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) 1st Amendment Order, 1979.
2. In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL-3, the following shall be inserted against S. No. 55 :—

1	2	3	4
"55. Muzzle loading weapons and Breech loading or bolt action weapons such as shot-guns ; rifles, revolvers, pistols and their ammunitions.	B. 91	Export will be a	wed on production of :— (a) Appropriate licence issued under the provisions of the Arms Act, 1959, and

1	2	3	4
			the rules made thereunder, and
			(b) Certificate from Archaeo- logical Survey of India to the effect that the fire arms to be exported are not antiques and/or rare specimens and bear appro- priate marks of identi- fication and proof test (This certificate will not be necessary for ammuni- tion and for fire arms manufactured in India after 1956 when exported by the manufacturers themselves."

[No. E(C)O, 1977/AM (84)/File No. 17/2/78-E-I]

K.V. SESHADRI Chief Controller

